<u>दिनांक 05.01.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष रांची में माननीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,भारत सरकार-सह-अध्यक्ष जिला सर्तकता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही।</u>

<u>उपस्थिति:</u> बैठक पंजी में अंकित।

<u>कार्यवाही:</u> सर्वप्रथम उपायुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय,उपस्थित सांसद एवं विधायक सदस्य/प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत एवं नव वर्ष की हार्दिक अभिनंदन करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्ग दर्शन में बेहतर कार्य करने का आश्वासन दिया गया।

तत्पश्चात उपायुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से आज की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया।

गत दिनांक 17.06.06 की जिला स्तरीय निगरानी एवं सर्तकता समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से आज की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यो की प्रगति की जानकारी विभाग के उपस्थित पदाधिकारी से मांगी गई।

<u>पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल</u>

पेयजल एवं स्वच्छता ,पश्चिमी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बुढ़मू प्रखंड अर्न्तगत वर्ष 85-86 में प्रारंभ की गई खेलारी जलापूर्ति योजना में पूर्व बैठक के अनुपालन बिन्दु के प्रश्न पर समिति को अवगत कराया कि वहाँ ग्रामीणों की समिति का गठन किया गया है जिन्हें जलापूर्ति कार्य का दायित्व सौंप दिया गया है।साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वहाँ पर मुख्य राइजींग पाईप बार-बार चोरी कर लिया जा रहा है।इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और विगत 6 माह बैठक के बीत जाने के पश्चात भी इस दिशा में कोई आशातीत प्रगति नहीं होने पर इसे गंभीरता से लिया गया एवं सम्पूर्ण खेलारी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजलापूर्ति समस्या के निदान हेतु आवश्यक ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई कि रांची जिले के 20 प्रखंड निम्न रुप से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडलों के कार्य क्षेत्र में आते है ।पूर्वी प्रमंडल के तहत -5 प्रखंड,पश्चिमी प्रमंडल के तहत 8 प्रखंड एवं खूंटी प्रमंडल के तहत 7 प्रखंड है।

उपर्युक्त तीनों प्रमंडलों के अन्तर्गत निम्नांकित रुप से अनाच्छादित ;छब्द्ध एवं आंशिक रुप से आच्छादित ;च्ब्द्धटोला जहाँ पेयजलापूर्ति की योजना पूर्ण हो जाने पर सम्पूर्ण रांची जिला के प्रति 500 मीटर की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्चच्छ पेयजलापूर्ति से आच्छादित हो जाने की जानकारी सभी संबंधित उपस्थित कार्यपालक अभियंता द्वारा बैठक में दी गई :

		अनाच्छादित;छब्द्ध	आंशिक रुप से आच्छादित;च्ब्द्ध
1.	पूर्वी प्रमंडल -	6	10
2.	पश्चिमी प्रमंडल-	7	27
3.	खूंटी प्रमंडल -	498	39

इस तथ्य पर उपायुक्त द्वारा तथ्यों के सत्यापन की बात कही गई।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यपालक अभियंताओं को पूरे जिले के कार्य क्षेत्र का नक्शा तैयार कराकर सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया एवं साथ ही उक्त दावे के कम में उक्त तीनों प्रमंडलों हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के साथ-साथ सांसद प्रतिनिधि,विधायक प्रतिनिधि एवं विभाग के अभियंता के साथ पाँच सदस्यीय तीन टीम का गठन कर पूरे जिले में स्वच्छ पेयजलापूर्ति के कार्यो की सर्वे/जांच दिनांक 10.1.07 से 15.1.07 तक करते हुए प्रतिवेदन समिति को सौंपने का निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।

स्वजलधारा योजना के तहत पूर्वी प्रमंडल अन्तर्गत 19,पश्चिमी प्रमंडल अन्तर्गत 46 ट्यूब वेल योजना की स्वीकृति की जानकारी दी गई जिनमें अधिकांश में कार्य प्रारंभ हो जाने एवं कार्य प्रगति पर बताई गई।इस संबंध में जिले के सभी 384 पंचायतों में टोलावार नक्शा बनाकर ट्यूब वेल के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश समिति द्वारा दिया गया।इस कम में उपायुक्त द्वारा जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अवगत कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया ताकि उनके स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को समस्या के निदान हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सके।

माननीय सांसद सदस्य श्री रामेश्वर उराँव ने मांडर में एवं माननीय अध्यक्ष महोदय ने कांके क्षेत्र में पेयजलापूर्ति की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसके निदान हेतु कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।

इसी प्रकार माननीय सांसद श्रीमती सुशीला केरकेटट्ा ने खूंटी क्षेत्र में नदी के बगल वाले ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति नहीं होने की जानकारी दी गई। माननीय विधायक श्री कोचे मुण्डा द्वारा तोरपा के सोन्दारी में लगे डीप ट्यूब वेल से जलापूर्ति नहीं होने तथा माननीय पूर्व विधायक सदस्य श्री सावना लकड़ा द्वारा नामकुम के हुवांगहातू में पेयजलापूर्ति बाधि होने की जानकारी दी गई। इन सभी क्षेत्रों में अविलंब आवश्यक सुधार करने का निर्देश समिति द्वारा दिया गया। मांडर के अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में एक अतिरिक्त स्थल पर ट्यूब वेल हेतु कार्रवाई करने का निर्देश समिति द्वारा दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों के बंद एवं खराब पड़े चापाकलों को भी मार्च 2007 तक चालू कराने हेतु ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।इस कम में उपायुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि मेसो परियोजना के तहत प्रत्येक पंचायत में एक-एक आदिवासी युवक को चापाकल मरम्मती का प्रशिक्षण दिया गया है एवं उन्हें टूल्स कीट भी चापाकल मरम्मती हेतु उपलब्ध कराये गए हैं,अत: उन्हीं के माध्यम से ऐसे खराब बंद पड़े चापाकलों मरम्मती कराई जाय।

शहरी क्षेत्र में 20-25 कि0मी0 की परिधि के अर्न्तगत डीप बोरिंग के पेयजल में हानिकारक फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की मात्रा आती है तो कितने नीचे से आता है इसकी जांच कराने का निर्देश भी हटिया जलापूर्ति प्रमंडल के उपस्थित कार्यपालक अभियंता को दिया गया और तद्नुसार डीप बोरिंग हेतु कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यकम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के शौचालय निर्माण हेतु 1500/- रुपये की राशि प्रति शौचालय उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई । इस योजना की जानकारी अधिकांश सदस्यों को नहीं होने के प्रश्न पर इसके वृहत प्रचार विभिन्न संस्थाओं तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाने एवं कार्यशाला आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया।इस कम में उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में लड़का एवं लड़की के लिए शौचालय निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 3 करोड़ 20 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है जिसका निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा स्वंय किया जायगा।

माननीय विधायक सदस्य श्री सी.पी.सिंह द्वारा शहरी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाए जाने के कार्य के संबंध में शहरी की धनी आबादी वाले गली मुहल्ले को इससे वंचित

रखने तथा पाइप लाइन बिछाने के कम में सड़कों के किनारे गढ़े किए जाने तथा उसे पुन:अच्छी तरह नहीं भरने से लोगों को हो रही कठिनाई का उल्लेख किया।समिति द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

इसके अतिरिक्त पिस्का मोड़ में जलमीनार में 3 वर्ष पूर्व निर्माण पूर्ण हो जाने के बावजूद मात्र सम्प ;नउचद्ध नहीं बनने के कारण रातू रोड क्षेत्र के मुहल्ले में लोगों द्वारा कनेक्शन लिए जाने के फलस्वरुप उन्हें पेयजलापूर्ति नहीं होने की जानकारी दी गई।इस संबंध में भी संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।

नगर निगम के प्रशासक को शहर के सभी वार्डो का नक्शा तैयार कराकर पेयजलापूर्ति पाइप लाइन से अनाच्छादित क्षेत्र के संबंध में कार्रवाई करकने का निर्देश समिति द्वारा दिया गया। साथ ही जिले के सभी पुराने 37 वार्ड नये 55 वार्ड का सर्वे कराकर पेयजलापूर्ति के काइसीस ब्तपेपे क्षेत्र के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

इसके अतिरिक्त सभी संबंधित विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यो की सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड में नॉडल पदाधिकारी बनाते हुए उन्हें उपलब्ध कराने तथा इसकी सूची सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय पुन: दिया गया ताकि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड अन्तर्गत कौन-कौन से विभाग द्वारा क्या-क्या विकास के तथा अन्य कार्य किए जा रहे हैं इसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को रहे।

इस संबंध में पुन: दिनांक 31.1.07 को एक बैठक जिले में सिर्फ पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु आहूत करने का निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।

<u>अनुपालन:कार्यपालक अभियंता,पेयजल एवं स्वच्छता ,रांची पूर्वी/पश्चिमी/खूंटी प्रमंडल/हटिया प्रमंडल</u>

<u>उप विकास आयुक्त,रांची/प्रशासक,रांची नगर निगम</u>

2. <u>ग्राम्य अभियंत्रण संगठन</u>

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा के क्रम में चान्हों –बाजरा पथ में निम्नकोटि के सामग्री के प्रयोग एवं पथ की स्थिति खराब होने के प्रश्न पर संबंधित कार्यपालक अभियंता,ग्राम्य अभियंत्रण संगठन,रांची द्वारा बताया गया कि उक्त पथ 2003 का है और पथ में आवश्यक सुधार कार्य करा दिया गया है और वर्तमान में 3 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात भी रोड की स्थिति ठीक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे कितने संवेदक हैं जिनके रोड की स्थिति नियमानुसार 5 वर्ष के पूर्व खराब हो गई है का प्रखंडवार/पंचायतवार इसकी सूची तैयार कर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जाय।

माननीय पूर्व विधायक सदस्य श्री सावना लकड़ा द्वारा सिदरौल से राजाउलातू पथ की दयनीय स्थिति से अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त खूंटी से आरंगा पथ की स्थिति ठीक नहीं होने के प्रश्न पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्न्तगत पॉचवे फेज में इसे ले लिया जायगा चूंकि इस पथ में पहाड़ के कटाव करने हेतु लागत ज्यादा आ रहा हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बुढ़मू प्रखंड के चकमे से आरा चौक से तालाब होते हुए बगीचा तक पी.सी.सी. पथ एक माह में ही उखड़ जाने की बात बताई गई।साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चार प्रखंडों के पथों की सूची जिनकी हालत काफी दयनीय है,उपलब्ध कराते हुए इन सभी पथों के पूर्ण जांच कराने का निर्देश दिया गया।

समिति द्वारा बिहार में निर्गत अधिसूचना जिसके तहत ग्रामीण रोड एक ही एजेन्सी से कराने का उल्लेख है,उसी तर्ज पर झारखंड में भी कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव मुख्य सचिव,झारखंड को भेजने का निर्णय लिया गया ताकि पथों के निर्माण कार्य में डुप्लीकेसी;क्नचसपबंबलद्ध न हो।

<u>अनुपालन:कार्यपालक अभियंता,ग्रा0अभि0संगठन,कार्यप्रमंडल,रांची/खूंटी/उप विकास आयुक्त,रांची</u>

3. **<u>राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून</u>**;छत्म्ळ।द्ध

जिले में एन0आर0ई0जी0ए0 कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी उपायुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों को देते हुए बताया गया कि जिले में माह दिसम्बर,06 तक 1. 91.326 परिवारों को जॉब कार्ड वितरित किए गए हैं एवं 1.02.07 को नरेगा योजना के एक वर्ष

पूर्ण होने के अवसर पर सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों को नि:शुल्क रुप से जॉब कार्ड उपलब्ध करा दिया जायगा।

माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा द्वारा बताया गया कि खूंटी क्षेत्र में जॉब कार्ड बनाने हेतु ग्रामीणों से 10/-रुपये प्रति जॉब कार्ड लिए जाने की सूचना है । इस संबंध में उपायुक्त द्वारा संबंधित क्षेत्र की जांच अनुमंडल पदाधिकारी,खूंटी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया एवं इस प्रकार की जहॉं कहीं भी शिकायत प्राप्त होती है उसमें ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

पूर्व विधायक श्री सावना लकड़ा द्वारा दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान की प्रति दिखलाते हुए ओरमांझी प्रखंड के हलवादी ग्राम में तालाब निर्माण की योजना में पोकलैंड मशीन के प्रयोग करने की छपी समाचार का हवाला दिया गया जिस पर उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इस मामले की जांच आज ही प्रात: ओरमांझी के अंचलाधिकारी को स्थल पर भेज कर कराया गया और इस संबंध में प्रतिवेदन भी उनसे प्राप्त हो गया है और यह योजना एन0आर0ई0जी0ए0 की नहीं है बल्कि यह मेसो परियोजना के तहत ली गई है। परंतु उपायुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि यदि ऐसी कोई अन्य विभाग की योजना जिसके प्राक्कलन में मजदूरी का प्रावधान है तो वहॉं भी मजदूरों से कार्य कराने को ही प्राथमिकता दी जायगी ।

उपायुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को जिले में बी0पी0एल0 परिवारों के सर्वेक्षण होने तथा इस संबंधी सूची प्रकाशित हो जाने तथा इसके तहत 2,07,187 परिवारों का नाम सूची में दर्ज होने की जानकारी दी गई।यह सूची एक सप्ताह के अंदर सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का आश्वासन उपायुक्त द्वारा दिया गया।साथ ही यह सूची सभी प्रखंड/पंचायत एवं गांव में उपलब्ध रहने की जानकारी दी गई व वेबसाइट में भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मजदूरों को पंचायत सेवक से काम की मांग लिखित एवं मौखित रुप से कर सकते हैं और जिसकी जिम्मेवारी संबंधित पंचायत सेवक की होगी। वर्तमान में रांची जिले में पंचायत सेवक की कमी है जिसके फलस्वरुप कुछ काफी व्यवहारिक कठिनाई है जिसका निदान ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति के पश्चात पूर्णरुपेण हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नरेगा के तहत स्थाई संरचना खड़ा करने तथा पुराने तालाबों के कार्य को करने एवं लघु एवं सीमांत कृषक को सिंचाई कूप देने की बात कही गई।इस संबंध में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि एस0जी0एस0वाई0 के प्रत्येक प्रखंड में 10-10 ऐसे किसानों का समूह गैर अनु0जाति /अनु0जन जाति के बी0पी0एल0 सदस्यों को 50 प्रतिशत अनुदान पर केंन्द्र सरकार से सीधें उपलब्ध कराने की योजना है जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है एवं इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 ऐसे समूह बनाने का निर्देश अग्रणी जिला प्रबंधक व सभी प्रखंडों को दिया गया है।

अंत में उपायुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का धन्यावाद ज्ञापन के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गनिर्देशन में टीम वर्क के रुप में` कार्य करने का आश्वासन देने तथा आज राजपत्रित अवकाश के दिन रहने के फलस्वरुप पदाधिकारियों के बैठक में उपस्थित होने के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

सुबोध कांत सहाय

सांसद-सह-अध्यक्ष

जिला सर्तकता एवं निगरानी समिति

रांची।

ज्ञापांक `80;11द्ध/जि0ग्रा0,दिनांक 16.01.2007

प्रतिलिपि सभी संबंधित माननीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उपायुक्त,रांची।